

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1030/2009/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-द्वितीय, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मोती श्रेड मिल्स, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 27/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन-III, जोधपुर द्वारा वर्ष 2004-05 के लिये पारित आदेश दिनांक 16.03.2006 में आरोपित कर व ब्याज को आंशिक रूप से अपास्त कर अपील स्वीकार की गई।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री किये जाने वाले माल EPE शीट्स को पैकिंग मेटेरियल मानते हुए इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर अदा किया जा रहा था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक इस आधार पर माना कि EPE शीट्स व PE फॉम एक ही वस्तु है। जिसे PE फॉम के अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 में दी गई प्रविष्टि संख्या 88 के अनुसार 9 प्रतिशत से कर योग्य माना है। इस तरह कर दर को विवादित करते हुए अंतर कर ब्याज व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 65 के तहत शास्ति आरोपित की गई थी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के बिक्रीत माल EPE शीट्स को प्लास्टिक पैकिंग मेटेरियल मानकर इस बिन्दु पर आरोपित कर व ब्याज अपास्त किया गया। इसके अलावा धारा 65 में आरोपित शास्ति तथा विवरण पत्रों को देरी से प्रस्तुत करने पर आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....2






4. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि PE फॉम EPE शीट्स एक ही तरह का आईटम होने से PE फॉम पर निर्धारित दर 9 प्रतिशत से किया गया करारोपण विधिसम्मत है एवं कम दर से कर जमा कराने के अपराध में आरोपित शास्ति भी विधिक रूप से लगाई गई थी, जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि व्यवहारी द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर आरोपित शास्ति को अपास्त करने में भूल की गई है। फलतः अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया है।


5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इसी बिन्दु पर व इसी वस्तु पर माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स विनायक ट्रेडर्स के प्रकरण में अपील संख्या 887/2007 2356/2008/जोधपुर कर निर्धारण वर्ष 2003-04 व 2004-05 में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि EPE शीट्स पैकिंग मैटेरियल की श्रेणी में ही कर योग्य है, अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसके अलावा धारा 65 की शास्ति एवं धारा 61 की शास्ति को न्यायिक रूप से अपास्त किया जाना विधिसम्मत बताया गया है।

6. प्रकरण में अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश तथा रेकार्ड का अवलोकन किया गया चूंकि प्रकरण का मुख्य विवाद EPE शीट्स की कर दर से सम्बन्धित है एवं इस संबंध में इसी बिन्दु पर जोधपुर के अन्य व्यवसायों पर किये गये करारोपण की अपीलों में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा यह निर्णीत किया जा चुका है कि EPE शीट्स पैकिंग मैटेरियल की श्रेणी में ही आता है। फलतः उपरोक्त वर्णित दृष्टांत जो टैक्स वर्ल्ड 2012 वाल्यूम 47 पेज 24 पर प्रकाशित है, के आलोक में अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। इसके अलावा विवरण पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर धारा 61 में आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि व्यवसायी को सुनवाई का विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया था। इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल. जैन)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य